



केन्द्रीय मुहर विभाग – 2

हमारा संदर्भ- के मु वि -2/16: 9962

29 08 2024

विषय: IS 9962 : 1981 (सुइयों के लिए स्टील वायर की — विशिष्टि) में संशोधन संख्या 2 का कार्यान्वयन।

सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि IS 9962 : 1981 में संशोधन संख्या 2 प्रकाशित हो चुकी है। IS 9962 : 1981 में संशोधन संख्या 2 के अनुपालन की अंतिम तिथि **28 जनवरी 2025** है। सभी लाइसेंसधारकों/आवेदकों से आग्रह है कि IS 9962 : 1981 में संशोधन संख्या 2 के अनुपालन की तैयारी आरम्भ करें और **28 जनवरी 2025** तक इसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करें।

(शिवम अहूजा)
वैज्ञानिक-सी (के मु वि-2)

प्रमुख (के मु वि-2)

सभी लाइसेंस धारकों/ आवेदकों को परिचालित
प्रतिलिपि: सभी क्षेत्रीय/शाखा कार्यालय

CENTRAL MARKS DEPARTMENT-2

Our Ref: CMD-2/16: 9962

29 08 2024

Subject: Implementation of Amendment No. 2 to Indian Standard 9962: 1981 (Specification for Steel Wire for Needles)

This is to inform to all concerned that Amendment No. 2 to IS 9962: 1981 has been published. Last date of implementation of the Amendment No. 2 to IS 9962: 1981 is **28 January 2025**. All licensees/applicants are requested to initiate preparedness for implementation of the Amendment immediately and ensure its implementation by **28 January 2025**

(Shivam Ahuja)
Scientist C (CMD-2)

Head (CMD - 2)

Circulated to: All licensees/applicants

Copy to: BIS Branch Offices